न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश सं0-01 बयाना, कैम्प रूपबास, जिला भरतपुर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- प्रशांत शर्मा, RJS (डी0 जे0 कैडर)

विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 43/26

सी.आई.एस. नम्बर :- 79/2026

01. हरिसिंह पुत्र श्री किशोरीलाल, उम्र 75 साल,
02. जगदीश पुत्र श्री हरिसिंह, उम्र 37 साल,
03. धनेश पुत्र श्री हरिसिंह, उम्र 29 साल,

निवासीयान- बुराना, पुलिस थाना गहनौली मोड, जिला भरतपुर (राज०)

-- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक।

--अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस०
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2026 पुलिस थाना गहनौली मोड,
अपराध अंतर्गत धारा 85, 115(2), 351(2), 3(5), 108 बीएनएस, नंबरी
फौजदारी प्रकरण संख्या ---/2026, बअनुवान सरकार बनाम नरेश वगैरह

उपस्थितिः-

01. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
03. श्री ओमप्रकाश तिवारी, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से

-: आदेश :-

दिनांकः- 09.03.2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई। केस डायरी पेश हुई।

02. प्रार्थना पत्र से संबंधित, संस्थित प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 04.01.2026 को प्रार्थी लोकेश ने पुलिस थाना गहनौली मोड में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी, कि उसकी बहन जनकश्री की शादी नरेश पुत्र हरीसिह कुशवाह, ग्राम बुराना में की

थी। 02 जनवरी को नरेश पुत्र हरी सिंह, सुरेश पुत्र हरी सिह, जगदीश पुत्र हरी सिंह तथा ससुर पहले भी परेशान करते 70225748 थे तथा उसी दिन बेरहमी से मारपीट की । 03 जनवरी को उन्हें सूचना मिली कि उसकी बहिन के साथ मारपीट की गई, जिस पर वे उसकी बहिन के ससुराल आये व समझाकर घर चले गये । उसके बाद उसकी बहिन के साथ ससुर हरीसिह, जेठ सुरेश, नरेश, जेठ जगदीश ने रूपये-पैसे लाने के ऊपर आये दिन मारपीट करते रहे । उसकी बहिन के साथ कल शाम को भी मारपीट की, जिससे परेशान होकर उसने कुछ खा लिया, जिसे पडौसियों ने हॉस्पीटल में भर्ती करा दिया है। उसकी बहिन हॉस्पीटल में भर्ती है, जिसकी हालात गम्भीर है । उसकी बहिन को उसके ससुर हरीसिह, जेठ जगदीश व सुरेश पुत्र हरी सिह ने परेशान किया है, जिसके कारण उसकी बहिन की यह हालत हुई है ।....इत्यादि पर मुकदमा नंबर 04/2026 अपराध धारा 85, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपबास द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.03.2026 को खारिज किया जा चुका है।

04. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है, कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं होनी है एवं अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तथा दिनांक 11.02.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहे हैं। यह भी तर्क रहा है, कि मामले में परिवादी/मजरुब के शरीर पर कोई गम्भीर चोट कारित नहीं हुई हैं । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहों को धमकाने का प्रश्न नही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बाल-बच्चेदार एवं बुजुर्ग व्यक्ति है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

06. उभय पक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पर परिवादी की बहिन जनकश्री के साथ विवाह के पश्चात् दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने व मजरूबा को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्ररित कर आपराधिक अभित्रास करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में नामजद किया गया है । वर्तमान में समाज में दहेज की मांग को लेकर महिलओं के साथ क्रूरता कारित करने के मामलों में निरन्तर बढोतरी हो रही है। यद्यपि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरुद्व कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड अनुसंधान पत्रावली पर नहीं है, किन्तु अभियुक्तगण/प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया है, उसको देखते हुए प्रकरण की इस स्टेज पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कृत्य गम्भीर प्रकृति का दृष्टिगोचर होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रकार के प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है ।

08. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण हरिसिंह, जगदीश व धनेश की ओर से प्रस्तत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रशांत शर्मा)

09. आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया एवं सी०आई०एस० पर अपलोड किया गया ।

(प्रशांत शर्मा)